राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक प. 12 (6)शिक्षा–5 / 2014

जयपुर, दिनांक: 10-5-15

::परिपत्र::

विषय–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2014–15 से आर0टी0ई0 वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य घोषित करने के संबंध में ।

राज्य सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत सत्र 2014–15 के लिये पत्र कमांक प012(6)शिक्षा–5 / 2014 दिनांक 3.2. 2014 के द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश प्रसारित कर दिये हैं ।

प्रवेश प्रकिया को पारदर्शी बनाये रखने की दृष्टि से एन0आई0सी0 के सहयोग से वेब पोर्टल का निर्माण भी किया जा चुका हैं तथा सत्र 2014–15 से लॉटरी प्रकिया को ऑनलाईन किया गया है । अतः इस प्रवेश प्रकिया को प्रभावी व पारदर्शी बनाये रखने के लिये समस्त मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों का पंजीकरण एवं आवश्यक प्रविष्टियों करना एतद् द्वारा अनिवार्य (Mandatory) घोषित किया जाता हैं। सत्र 2014–15 से राज्य सरकार द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीकृत विद्यालयों को ही पुर्नभरण किया जायेगा ।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कमांकः–शिविरा / प्रारं / आर.टी.ई / सी / निःशुल्क सत्यापन / 18878 / 14–15 / 165 दिनांकः– 11/5/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. निजी सचिव शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव संयुक्त शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग(ग्रुप–5)शासन सचिवालय जयपुर।
4. निजी सचिव आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के समस्त उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों तथा समस्त मा. / उमा. मान्यता प्राप्त विद्यालयों को तदनुसार सूचित करवाकर पालना सुनिश्चित कर लें।
7. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा......................को भेजकर लेख है कि अपने मण्डल के समस्त जि.शि.अ(प्रा.शि) एवं बीईईओ कार्यालयों तथा प्रा. / उ.प्रा. मान्यता प्राप्त विद्यालयों को तदनुसार सूचित करवाकर पालना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से निदेशालय को तत्काल अवगत करावें।
8. जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.शि.).................. को भेजकर लेख है कि अपने जिले के समस्त बीईईओ कार्यालयों एवं प्रा. / उ.प्रा. मान्यता प्राप्त विद्यालयों को तदनुसार सूचित करवाकर पालना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से निदेशालय को तत्काल अवगत करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर